संख्या-आर.एफ. 510 /नौ-9-15-100आर.एफ./14

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरांव,जनपद-इलाहाबाद/मगहर, जनपद-संतकबीरनगर/परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर, लावड, जनपद-मेरठ /कप्तानगंज, हाटा, जनपद-कुशीनगर/घोसी, जनपद-मऊ/जहानाबाद/ जनपद-पीलीभीत/कछौना पतसेनी, जनपद-हरदोई/अग्रवालमंडी टटीरी, जनपद-बागपत/सिराथू, जनपद-कौशाम्बी/फरह, जनपद-मथुरा/ऊन, जनपद-शामली/सेंथल, जनपद-बरेली।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 18 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने हेतु प्रस्तर-3 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आर.एफ.416/नौ-9-2015-100 आर.एफ./14 दिनांक 12 मई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित स्वीकृत धनराशि के उपयोग की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2015 के स्थान पर दिनांक 31 मार्च, 2016 पढा जाय। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत माना जाय।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- आर.एफ: 5|० (1)/नौ-9.2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकरी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी,इलाहाबाद/संतकबीरनगर/मेरठ/कुशीनगर/मऊ/पीलीभीत/ हरदोई /बागपत/ कौशाम्बी/ मथुरा/ शामली/ बरेली।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।